न्यायालय श्री राजीव कुमार अवर न्यायाधीश अनुमंडलीय
व्यवहार न्यायालय गोगरी, खगड़िया
टी0एस0 51 / 2006

आदेश

09.02.2022 उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वाद का पुकार किया गया पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा के द्वारा दिनांक 29.09.2021 को मृत वादी कोकाय यादव के स्थान पर वैध उत्तराधिकारीगण की ओर से पक्षकार बनाने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। जिसका प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दिनांक 27.10.2021 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उक्त आवेदन पर नोट प्रेस किए हैं।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। संपूर्ण अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 29.09.2021 को वादी के द्वारा मृत वादी कोकाय यादव के स्थान पर वैध उत्तराधिकारीगण की ओर से पक्षकार बनाने हेतु आवेदन पत्र दिया गया जिसे आज दिनांक 09.02.2022 को वादी के विद्वान अधिवक्ता उक्त आवेदन पर नोट प्रेस किए है। अतः नोट प्रेस के आधार पर उक्त आवेदन दिनांक 29.09.2021 को निष्पादित किया जाता है।

वाद दिनांक .... वास्ते अग्रिम किया।

लेखापित

अवर न्यायाधीश